

अब जल्द ही कोयलांचल में लौटेगी

दिल्ली से अनुमति मिलते ही शुरू होगी भारत ओपन कास्ट कोयला खदान



नवभारत न्यूज छिंदवाड़ा, 15 जनवरी . अब शीघ्र ही कोयलांचल में नई खदानें खुलने से रौनक लोटेगी। खदान खोलने की अनुमति के लिए प्रदेश के वन विभाग द्वारा अनुपालन रिपोर्ट केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव को भेज दिया गया है। अब दिल्ली से भारत ओपन कास्ट खदान को खोलने के लिए शीघ्र ही आदेश जारी किया जाएगा। बता दे कि दिल्ली प्रवासों के दौरान सांसद बंटी साहू ने भारत ओपन कास्ट कोयला खदान सहित अन्य कोयला खदानों को खोलने के लिए केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव और केन्द्रीय कोयला मंत्री जी.किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए विभागीय कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण करने का निवेदन किया था। सांसद श्री साहू ने पिछले दिनों

भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव से मुलाकात करते हुए खदान खोलने के लिए निवेदन किया था। जिसके बाद वन विभाग द्वारा डब्ल्यूसीएल को वन क्षति पूर्ति की राशि की जमा करने के लिए पत्र लिखा था। सांसद श्री साहू ने डब्ल्यूसीएल के अधिकारियों से संपर्क करते हुए उक्त राशि शीघ्र जमा करने का निवेदन करते हुए

पत्र भी प्रेषित किया था। सांसद के निवेदन पर डब्ल्यूसीएल द्वारा वन विभाग को राशि जमा कर दी गई है। भारत ओपन कास्ट कोयला खदान खुलने के बाद कोयले का उत्पादन होने से जहा विद्युत उत्पादन में मदद मिल सकेगी वहीं स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। जिससे एक बार फिर कोयलांचल में रौनक लौट सकेगी।

डब्ल्यूसीएल ने जमा की पर्यावरण क्षति की राशि वन विभाग भोपाल द्वारा दिल्ली भेजी गई अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार भारत ओपन कास्ट कोयला खदान के कारण पर्यावरण को होने वाली क्षति की राशि डब्ल्यूसीएल द्वारा जमा कर दी गई है। दिल्ली भेजी गई अनुपालन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि डब्ल्यूसीएल ने वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए 1,38,85,489 की राशि एवं एन.पी.डी. के लिए 1,72,00,260 और गैप प्लांटिंग के लिए 69,75,753 की राशि जमा कर दी हैं, वहीं वृक्षों के विदीहन व्यय के लिए 14,21,996 की राशि राज्य शासन के राजस्व मद में जमा करा दी गई है। डब्ल्यूसीएल और वन विभाग की विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अब फाइनल रिपोर्ट दिल्ली भेजी जा चुकी है जहां से शीघ्र ही खदान खोलने की अनुमति दी जाएगी।

बिना परमिट चल रही बस को किया जल्त परिवहन विभाग ने नरसिंहपुर मार्ग पर चलाया वहन जांच अभियान

नवभारत न्यूज छिंदवाड़ा, 15 जनवरी . परिवहन विभाग के विशेष जांच दल द्वारा आज नरसिंहपुर मार्ग पर संचालित हो रहे छोटे-बड़े यात्री वाहनों, मालवाहनों, निजी वाहनों के दस्तावेज ,परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ओवरलोडिंग, लायसेंस अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला ने बताया कि नरसिंहपुर मार्ग पर अमरवाड़ा स्थित हैप्पी ऑवर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा संचालित बस क्रमांक एमपी 28 जेडक्यू 5903 को बिना परमिट संचालित पाये जाने पर जप्त कर थाना अमरवाड़ा में सुरक्षाई खड़ा



कराया गया. अन्य कार्यवाही में हर्दई बायपास पर अव्यवस्थित रूप से खड़े 03 मालवाहनों पर 1500 रुपये की चालानी कार्यवाही की गई. साथ ही समस्त प्रकार के वाहन चालकों को समझाईश दी गई कि मोटरयान

अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लेघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी.

नकुल-कमलनाथ ने युवाओं को दी निःशुल्क प्रशिक्षण और रोजगार की सौगात

नवभारत न्यूज छिंदवाड़ा, 15 जनवरी . शिक्षा और रोजगार की जब-जब बात आती है नकुल कमलनाथ का नाम युवाओं की जुबान पर आता है। निःशुल्क शिक्षा, प्रशिक्षण और फिर रोजगार के अवसर नेताद्वय ने ही दिए हैं। घोषणाएं और वादे नहीं बल्कि सीधे अवसर उपलब्ध कराए। प्रशिक्षण उपरांत रोजगार से जुड़े सैकड़ों युवाओं ने शिकारपुर कमलकुंज पहुंचकर कमलनाथ एवं नकुलनाथ को हृदय से धन्यवाद दिया। ईमलीखेड़ा स्थित सीआइआइ स्किल सेन्टर में 90 युवाओं को ताज होटल, कमिन्स, वोल्टास, सापुरजी एवं बजाज। एनआइआईटी छिन्दवाड़ा एवं बडकुही में 60 युवा व अशोक लीलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग

इंस्टीट्यूट में 60 युवा ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। कमलनाथ एवं नकुलनाथ के द्वारा युवाओं को निःशुल्क शिक्षण व प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। समस्त युवाओं ने शिकारपुर कमलकुंज पहुंचकर नकुलनाथ से भेंट की। इस दौरान एनआइआईटी के विभिन्न कम्पनियों में चयनित 8 युवाओं को नकुलनाथ ने चयन पत्र प्रदान किए साथ ही अशोक लीलैंड इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 60 युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। सोनी कंप्यूटर एजुकेशन से शिक्षण व प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चार युवाओं का आईटी कम्पनी में चयन हुआ है। नकुलनाथ ने चयनित युवा मंगेश कुमार, अतुल विश्वकर्मा, संमृद्धि बैस एवं मयंक थापा को चयन पत्र प्रदान किए।

छिंदवाड़ा में पहली बार होगा रियल एस्टेट का भव्य बिजनेस नाइट इवेंट : सूडान अवार्ड्स 2026

नवभारत न्यूज छिंदवाड़ा, 15 जनवरी . 18 जनवरी को सूद इंफ्रा करेगा ऐतिहासिक आयोजन, प्रोजेक्ट लॉन्च, स्कीम अनावरण और निवेश अवसरों की रहेगी भरमार। शहर के रियल एस्टेट इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 18 जनवरी 2026 को सूद इंफ्रा पीवीटी.एलटीडी.द्वारा आयोजित किया जा रहा है सूडान अवार्ड्स 2026, जिसे छिंदवाड़ा की पहली रियल एस्टेट बिजनेस नाइट बताया जा रहा है। यह आयोजन सिर्फ एक पुरस्कार समारोह नहीं, बल्कि रियल एस्टेट, निवेश और व्यापारिक अवसरों का एक साझा मंच होगा, जहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च, नई स्कीमों का अनावरण और निवेश से जुड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे।



रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा नया मंच सूडान अवार्ड्स 2026 के जरिए सूद इंफ्रा का उद्देश्य छिंदवाड़ा को टियर-3 से नेक्स्ट-जेन स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में एसएनसी मॉल, लाइफसिटी टाउनशिप, और अन्य आगामी प्रोजेक्ट्स की जानकारी साझा की जाएगी, जो शहर के व्यापार और जीवनशैली को नया स्वरूप देंगे। कार्यक्रम में ऐसे निवेश मॉडल और स्कीमें पेश की जाएंगी।

विवाद के बाद लगा ली फांसी, मौत

छिंदवाड़ा। कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनपुर के रहने वाले युवक फांसी के फंदे में झूल गया। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। जानकारी अनुसार रमेश पिता जागेलाल बुनकर उम्र 45 साल सोनपुर का रहने वाला है। वह बुधवार की शाम शराब पीकर घर पहुंचा। पत्नी से जमकर वाद विवाद किया। पत्नी को बच्चों सहित घर के बाहर निकाल दिया। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पत्नी ने दरवाजा खटखटाया, उसने नहीं खोला। इसके बाद पत्नी ने आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, तो देखा वह चुन्नी से फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। उसे तत्काल फंदे से उतारकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिवजनों को सौंप दिया है।



कि उसने सुबह फांसी के फंदे पर झूल गई। जब भाई ने उसे देखा तो वह दंग रह गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया। जहां पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिवजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

श्री श्री 1008 गरीबदास जी महाराज को नकुलनाथ ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

कहा त्याग, तपस्या से भरा रहा महाराज श्री का जीवन



आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के किए दर्शन आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रथम नगर आगमन पर पूर्व सांसद नकुलनाथ ने गोल गंज पहुंचकर दर्शन किए। आचार्य श्री को शत-शत नमन कर शुभाशीष प्राप्त किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आचार्य श्री के आगमन ने हमारी धरा धन्य हुई। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री विश्वनाथ ओकटे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी आचार्य श्री का दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किए।

प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उनका धार्मिक मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त हुआ है। आज वे हमारे बीच नहीं है, किन्तु उनका आशीर्वाद, स्मृतियां व उनकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। धर्म की ध्वजा

जल परीक्षण एवं नल-जल योजनाओं के रख-रखाव के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज छिंदवाड़ा, 15 जनवरी . जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड छिन्दवाड़ा के मार्गदर्शन में विभागीय टीम द्वारा विकासखण्ड व जनपद स्तर पर ग्राम के सभी पेयजल स्त्रोतों का एफ.टी.के. के माध्यम से जल परीक्षण के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में 08 जनवरी 2026 को जनपद पंचायत बिछुआ, 09 जनवरी 2026 को जनपद पंचायत मोहखेड, 10 जनवरी 2026 को जनपद पंचायत छिन्दवाडा एवं 13 जनवरी 2026 को जनपद पंचायत चौरई में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम के नल चालक एवं ग्राम पंचायत सचिवों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही नल-जल योजनाओं का रख-

रखाव एवं ग्राम में शुद्ध/स्वच्छ पेयजल के उपयोग के प्रति जागरूकता के लिये समझाया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ग्राम की 05-05 महिलाओं को जल परीक्षण का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिससे ग्राम के सभी स्त्रोतों का समय-समय पर परीक्षण किया जा सके। प्रशिक्षण के दौरान सभी ग्राम पंचायत के सचिव/नल चालक को एक-एक एफ.टी.के. (जल परीक्षण किट) वितरित की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायत यंत्री, उपयंत्री, विकासखण्ड समन्वयक, पंचायत निरीक्षक एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से सहायक यंत्री, जिला सलाहकार, विकासखण्ड समन्वयक, उपयंत्री, रसायनज्ञ व अन्य उपस्थित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल संचालन जिला सलाहकार, विकासखण्ड समन्वयक, रसायनज्ञ द्वारा किया गया।

जिले में ई-विकास प्रणाली से उर्वरक वितरण प्रारंभ

नवभारत न्यूज छिंदवाड़ा, 15 जनवरी 15 जनवरी से ई-विकास प्रणाली द्वारा किसान घर बैठे अपना टोकन बुक करके खाद प्राप्त करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं, इसी क्रम में कलेक्टर हरेंद्र नारायन के निर्देशानुसार जिले में आज किसानों ने घर बैठे अपना से अपना ई-टोकन बुक करके खाद उठाना प्रारंभ कर दिया है। जिले में 200 से अधिक किसानों ने आज अपना ई-टोकन बुक करके खाद उठाया। इस प्रक्रिया के लागू होने से अब किसानों को लाइन में लगने की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही किसान अपनी इच्छा से अपनी पसंद की

खाद मनवाहे जगह से प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर हरेंद्र नारायन द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में कृषि सहकारिता मार्कफेडएमपीएगो के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिये गये। कलेक्टर श्री नारायन के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक में सभी पटवारियों, पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायक को भी प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे इसकी जानकारी प्रत्येक ग्राम पंचायतों में किसानों को हो सके। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में कृषि रथ के माध्यम से प्रत्येक पंचायतों में कृषि उद्यानिकी पशुपालन

सहकारिता एवं कृषि वैज्ञानिक जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। किसानों को नई वितरण प्रणाली से अवगत करा रहे हैं। इस बैठक में उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर राहुल पटेल, जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती गंगा कुमरे, डीएमओ मार्कफेड श्रीमती शिखा सरियाम, जिला सहकारी बैंक के सहायक प्रबंधक अजय राठौर, उपायुक्त सहकारिता कार्यालय से श्री जैन, सहायक संचालक कृषि श्रीमती सरिता सिंह, धीरज ठाकुर, नीलकंठ पटवारी, मंडी सचिव दीपक चौरसिया सहित मैदानी अधिकारी उपस्थित थे।

नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले को 5 वर्ष की सजा

नवभारत न्यूज छिंदवाड़ा, 15 जनवरी . नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को न्यायालय ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल 2025 को प्रार्थी अपनी पत्नी और पुत्री के साथ रिजर्वेशन कराने रेल्वे स्टेशन गया था तब प्रार्थी ने उसकी 8 वर्षीय पुत्री को टिकिट विलो में छेड़कर मार्केट चला गया था. उसकी बेटी टिकिट कांउटर के सामने लगी बेंच में बैठी और उसकी पत्नी टिकिट कांउटर में टिकिट बनवा रही थी तभी उसी समय लगभग 7 बजे शाम को एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पुत्री के पास आकर बैठा और उससे बात-चीत करने लगा उसक बाद उसके शरीर पर गलत तरीके से स्पर्श किया जिससे वह घबरा



गई. जब तक उसकी पत्नी आई तब तक वह अज्ञात व्यक्ति वहां से भाग गया यह संपूर्ण घटना के बारे में उसकी पत्नी ने उसे घर आकर प्रार्थी को बताया तब उसने रेल्वे स्टेशन आकर उसे ढूंढा और थाना आकर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी जगनलाल को गिरफ्तार कर प्रकरण को न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) छिन्दवाडा में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के उपरांत तृति पाण्डे विशेष न्यायाधीश

लापरवाह वाहन चालक दो वर्ष का कारावास

सचिन जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर के द्वारा थाना लोधीखेडा के अपराध के आरोपी अविनाश पिता गुलाबचंद 50 वर्ष निवासी लोधीखेड़ा को धारा-304ए भादवि. में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रु अर्थदंड से दण्डित किया गया। बता दे कि 3 अप्रैल2024 को मृतक वासुदेव टेकाड़े बाइक से जा रहा था तभी शाम 7 बजे पेट्रोल पंप के पास हाईवे के पास रेमंड चौक से एक जीप क्रं. एम.एच.22 बी.7940 का चालक अपनी जीप लापरवाही पूर्वक चलाते हुए वासुदेव टेकाड़े को टक्कर मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई थी. उक्त मामले में न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष की सजा सुनाया.प्रकरण में शासन की ओर से अखिल कुमार कुशराम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील सौंसर के द्वारा पैरवी की गई.

मारपीट के आरोपी को 6 माह की सजा

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर ने आरोपी पूजा पति वासुदेव बडवाईक 28 वर्ष सौंसर को दण्डित करते हुए धारा-117(2) बीएनएस में 6 माह का कठोर कारावास एवं 4000 रु अर्थदंड से दण्डित किया गया. घटना का संक्षिप्त विवरण अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने घटना के संबंध में बताया कि 30 दिसंबर 2024 को फरियादिया कांता बाई करीब 4 बजे वह खेत जा रही थी तभी उसकी बहू पूजा ग्राम देवी से घडेला रोड पर पानठेला के पास में आयी और उसके साथ हाथ-मुक्का से मारपीट की और उसे ढकेल दिया जिससे उसके कमर में चोट आयी। उक्त घटना पर से आरोपी के विरुद्ध थाना सौंसर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था.

(पाक्सो एक्ट) ने आरोपी जगनलाल को धारा 74 बीएनएस में एक वर्ष का कठोर कारवास एवं 1000 रु अर्थदण्ड, धारा 9 (एम) सहपरित धारा 10 पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष का

कठोर कारवास एवं 1000 रु अर्थदण्ड से दंडित किया गया. प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उईके द्वारा पैरवी की गयी एवं

विवेचना सब इन्स्पेक्टर संजीवनी राजपूत थाना जीआरपी जबलपुर एवं प्र.आर. आकांक्षा कमाले थाना जीआरपी छिन्दवाड़ा द्वारा की गई.